महत्वपूर्ण एवं खास

व्यापमं ने मंडी निरीक्षक की परीक्षा स्थगित की

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक शिक्षामंडल द्वारा आयोजित होने वाली मंडी निरीक्षक की परीक्षा कोरोना संक्रमण के बढ़ने की वजह से आगामी आदेश पर्यंत स्थगित कर दी गई है। ज्ञातव्य है कि कोरोना में जारी लाकडाउन के कारण स्कूली स्तर पर आयोजित होने वाली दसवीं बोर्ड की परीक्षा भी रद्द कर दी गई है जबकि 12वीं की परीक्षा एक जून के पश्चात दिल्ली में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बैठक के बाद नई तिथि की घोषणा के संबंध में विचारोपरांत जारी की जाएगी।

राज्य की कुल जनसंख्या के 15 प्रतिशत से अधिक को कोविड 19 वैक्सीन की पहली डोज लगी

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ कोविड 19 वैक्सीनेशन में पूरे देश में सातवें स्थान पर है। राज्य में कुल जनसंख्या के 15.17 प्रतिशत लोगों के मतलब 44 लाख 49 हजार से अधिक को वैक्सीन का पहला डोज दिया जा चुका है। राष्ट्रीय औसत 7.79 प्रतिशत है। केन्द्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, लदाख के साथ राज्यों में सिक्किम,त्रिपुरा,हिमाचल प्रदेश केवल छत्तीसगढ़ से आगे हैं। कल 18 अप्रैल तक की स्थिति में यहां 45 वर्ष से अधिक उम्र के लगभग 66 प्रतिशत लोगों को पहली डोज लग चुकी है। इसके अलावा 88 प्रतिशत हेल्थ केयर वर्कर, 91 प्रतिशत फ्रंट लाइन वर्कर को भी वैक्सीन की पहली खुराक दी गई है।

बलात्कार का आरोपी गिरफ्तार

सुकमा (आरएनएस)। जिले के छिंदगढ़ थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पोन्दुम पारा मेसीरास मे एक युवती से अनाचार के आरोपी वेट्टी किशोर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने युवती के साथ अवैध संबंध स्थापित करने के बाद में उसे पहचानने से इंकार कर दिया। शिकायत के बाद घेराबंदी कर दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी छिन्दगढ़ राकेश यादव, थाना प्रभारी गादीरास रितेश यादव, महिला सेल प्रभारी उपनिरीक्षक दीपिका निर्मलकर व थाना छिन्दगढ़ से प्रधान आरक्षक बहालराम कोडोपी, आरक्षक मनोज शामिल थे।

नक्सलियों ने पेड़ और सड़क काटकर यातायात किया बाधित

दंतेवाड़ा (आरएनएस)। जिले के ग्राम समेली बुरगुम सड़क को नक्सलियों ने जगह-जगह काटकर यातायात बाधित किया है, जिसका खामियाजा ग्रामीणों को उठाना पड़ रहा है। नक्सलियों ने सड़क को कई जगह से काटकर रोड में पेड़ गिरा दिया है। जिससे ग्रामीणों को आने-जाने में दिक्कत हो रही है। नक्सलियों के रोड काटे जाने से इस ब्लॉक के कई गांव प्रभावित हुए हैं।

लॉकडाउन एवं प्रतिबंधात्मक संबंधी आदेश का पालन करते हुए आज से उचित मूल्य दुकानें शुरु

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ राज्य शासन के निर्देशानुसार तथा कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम के दृष्टिगत रायपुर जिले में लॉकडाउन एवं प्रतिबंधात्मक संबंधी आदेश का पालन करते हुए आज से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य दुकानो से हितग्राहियों को खाद्यान्न वितरण कार्य प्रारंभ किया गया । हितग्राही इन दुकानों के माध्यम से नियंत्रित कीमत पर चावल तथा अन्य सामग्री प्राप्त कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान शासकीय उचित मूल्य की दुकाने सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक खुलेगी। हितग्राहियों के मध्य उचित सामाजिक दूरी बनाये रखने के लिये घेरा बनाकर स्थान का चिन्हांकन किया गया है। दुकान संचालक, विक्रेता /तौलक और हितग्राहियों के द्वारा मास्क लगाये रखने के सख्त निर्देश दिए गए है।

एयरपोर्ट के साथ-साथ रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्डों और अंतर्राज्यीय सीमाओं पर बाहर से आने वाले यात्रियों की कड़ाई से टेस्टिंग हो :सीएम

» ज्यादा संक्रमण वाले ग्रामीण क्षेत्र में विशेष अभियान चलाकर टेस्टिंग की जाए

» आवश्यक दवाईयों की कालाबाजारी पर होगी कड़ी कार्रवाई

रायपुर (आरएनएस)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज यहां अपने निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल बैठक में प्रदेश के 10 जिलों में कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति, उनकी रोकथाम के उपायों और मरीजों के इलाज के लिए किए गए प्रबंधों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने सभी कलेक्टरों से एयरपोर्ट के साथ-साथ रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्डों और अंतर्राज्यीय सीमाओं पर बाहर से आने वाले यात्रियों की कड़ाई से टेस्टिंग कर उन्हें आवश्यकतानुसार क्वारेंटाइन सेंटर, आइसोलेशन में रखने और अस्पताल भेजने की व्यवस्था के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए चिकित्सा स्टॉफसहित शासन-प्रशासन के अधिकारी-कर्मचारी, विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि बड़ी मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। ऐसे में यह जरूरी है कि बाहर से आने वाले प्रवासी लोगों की चेकपाइंट पर टेस्टिंग कर संक्रमित लोगों को चिन्हाकित कर उनके इलाज की समुचित व्यवस्था की जाए, ताकि इन लोगों से संक्रमण न फैलने पाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा संक्रमण के मामले आ रहे हैं, वहां गांवों में हर व्यक्ति की जांच के लिए विशेष अभियान चलाकर टेस्टिंग करने, उन्हे अलग रखने और उनकी मॉनीटरिंग की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। क्वारेंटाइन और होम आइसोलेशन वालों को टेलीमेडिसिन के माध्यम से सलाह देने की व्यवस्था की जाए। इसके लिए कंट्रोल रूम को सक्रिय किया जाए। उन्होंने लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के निर्देश देते हुए कहा कि चौक-चौराहों में भीड़ एकत्रित न हो। सभी जिलों से लगने वाले अंतर्राज्यीय बार्डर सील किए जाएं। उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि दुष्प्रचार करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि हेल्थ वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर संक्रमण से बचने के लिए कोविड-19 की गाइडलाइन का कड़ाई से पालन करें। साथ ही हेल्थ वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर और सामाजिक संगठनों द्वारा किए जा रहे सराहनीय कार्यों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। जिससे नकारात्मकता का माहौल न बनने पाए, इसका विशेष ध्यान रखें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सामाजिक संगठन, उद्योगपति और व्यापार जगत के लोग भी संकट के इस समय में प्रशासन के साथ सहयोग कर रहे हैं। हम लोग लगातार उनके संपर्क में हैं, कलेक्टर भी समय-समय पर विभिन्न वर्गों के लोगों से संवाद स्थापित करते रहें। यह भी ध्यान रखा जाए कि आम जनता की आवश्यक जरूरतों की पूर्ति में कोई व्यवधान न आने पाए। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को टेस्टिंग किट सहित जरूरी मेडिकल उपकरणों, ऑक्सीजन सिलेण्डर, रेमडेसिविर सहित आवश्यक दवाओं की उपलब्धता को निरंतर बनाए रखने के निर्देश दिए। आवश्यक दवाईयों की कालाबाजारी पर सख्ती से रोक लगाई जाए।

मुख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए 11 जिला के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के साथ वर्चूअल बैठक की

रायपुर (आरएनएस)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज यहां अपने निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल बैठक में प्रदेश के 11 जिलों में कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति और उससे नियंत्रण के उपायों की समीक्षा की। इन जिलों में महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, बालोद, कबीरधाम, मुंगेली, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, सरगुजा, सूरजपुर, कोरिया और बलरामपुर जिले शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने बैठक में सभी जिलों में ऑक्सीजन बेड, आईसीयू बेड, वेंटिलेटर वाले बेड की उपलब्धता, ऑक्सीजन की सप्लाई चैन, ऑक्सीजन सिलेंडरों की उपलब्धता और रोटेशन, मेडिकल स्टाफ की उपलब्धता, रेमडेसिविर और अन्य आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता तथा सीएसआर मद, औद्योगिक क्षेत्र और सामाजिक संगठनों के सहयोग से किये जा रहे कार्यों की समीक्षा की।

बैठक में स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य श्रीमती रेणु जी. पिल्ले, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, मुख्यमंत्री के सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, श्रम सचिव अंबलगन पी., सम्बंधित संभाग के कमिश्नर, आई.जी., इन सभी 11 जिलों के जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक शामिल हुए।

किराना, अनाज, फल, सब्जी दुकानों के साथ बैंकों को भी दे खोलने की अनुमति

» रायपुर सराफा एसोसिएशन ने कलेक्टर को पत्र लिखकर की मांग

रायपुर (आरएनएस)। लॉकडाउन की 10 अवधि दिन अवधि पूरी होने के बाद जिला प्रशासन द्वारा आज से कुछ शर्तो के साथ ठेले के माध्यम से किराना सामान, फ्रूट व सब्जी बेचने की अनुमति दी गई लेकिन अधिकतर जगहों पर सब्जी के ठेले तो पहुंचे पर वह भी महंगे दामों में लेकिन किराना सामानों के ठेले नहीं पहुंच पाए क्योंकि यह संभव नहीं लग रहा हैं। इसी को देखते हुए रायपुर सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष हरख मालू ने रायपुर कलेक्टर डॉ. एस.भारतीदासन को पत्र लिखकर किराना, अनाज, फ्रूट, सब्जी की दुकानों के साथ ही बैंकों को भी निर्धारित समय के लिए खोलने की अनुमति देने की मांग की ताकि आम लोगों को आसानी से सामान मिल सकें।

पत्र के माध्यम से अध्यक्ष मालू, पवन अग्रवाल, लक्ष्मीनारायण लाहोटी, प्रहलाद सोनी व अनिल कुचेरिया ने कलेक्टर को बताया कि 10 दिन तक लॉकडाउन लगाया था जिसमें जरुरत की चीजों के साथ ही सभी प्रकार की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया था, इसके बाद 7 दिन के लिए पुनः लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया और इसमें जरुरत की सामान आम लोगों तक आसानी से पहुंच सकें इसके लिए किराना दुकानदारों को ठेलों के माध्यम से सामान बेचने की अनुमति दी गई, वहीं सब्जी वालों को भी। सब्जी तो अधिकतर गली और मोहल्लों में आसानी से पहुंच गया लेकिन किराना सामानों के ठेलों उनके घरों तक नहीं पहुंच पाई इसके कारण आम जनता को दैनिक उपयोग की वस्तुएं आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाई। वैसे भी ठेलों के माध्यम से किराना के सामान बेचा संभव दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि जितना सामान दुकान में आता है इतना सामान ठेले में रखकर बेचना संभव नहीं हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए किराना व अनाज की दुकानों को निर्धारित समय के लिए दुकान खोलने की अनुमति प्रदान की जाए ताकि आम जनता को दैनिक उपयोग की वस्तुएं आसानी से उपलब्ध हो सकें। इसके साथ ही फ्रूट व सब्जी की दुकानों के साथ ही बैंकों को भी निर्धारित समय के लिए खोलने की अनुमति दिया जाए।

कोरोना लॉक डाउन में मार्च 21 के मासिक पेंशन से छत्तीसगढ़ के पेंशनर वंचित

रायपुर (आरएनएस)। रायपुर में सेंट्रल पेंशन प्रोसेसिंग सेल में केवल नोडल अधिकारी की नियुक्ति परन्तु सारे काम भोपाल से ही होंगे। भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के राष्ट्रीय महामंत्री एवं छत्तीसगढ़ राज्य सँयुक्त पेन्शनर फेडरेशन के अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने प्रदेश में पेंशनरों के लिये अधिकृत नोडल बैंक भारतीय स्टेट बैंक के कार्यप्रणाली में सेंट्रल पेंशन प्रॉसेसिंग सेल मुंबई और भोपाल के बीच तालमेल में कमी और कुछ बैंकों के संविलियन प्रक्रिया से कोड में परिवर्तन को अमल में लाने में देरी तथा छत्तीसगढ़ रायपुर में पेंशन प्रोसेसिंग सेल नही होने के कारण माह मार्च 21 के मासिक पेंशन का भुगतान अप्रेल 21 में आज दिनाँक तक पेंशनरों के खातें में जमा नही हुआ है।राज्य के पेंशनरों को हो रही इस आर्थिक परेशानियों को लेकर रिजर्व बैंक आफ इंडिया को ट्यूट कर इस लापरवाही पर जवाबदेही तय करने और कार्यवाही करने की मांग की हैं।

जारी विज्ञप्ति में फेडरेशन के अध्यक्ष वीरेंद्र नामदेव ने आगे बताया गया हैं कि इसी काम मे लगे एक बैंक अधिकारी के अनुसार देश मे कुछ बैंको के आपस में संविलियन की प्रक्रिया से नए कोड के निर्धारण होने के कारण मुम्बई और भोपाल के बीच तालमेल में कमी होने से मार्च 2021 का मासिक पेंशन खाते में जमा होने में विलम्ब हुआ है और उसके बाद कोरोना लॉक डाउन में बैंक का बन्द रहना भी देरी का कारण है।हर हालत में 30 अप्रेल के पहले पेंशन खाते में जमा हो जाएगा। बैंक अधिकारी के अनुसार संविलियन से सम्बंधित सम्पूर्ण कार्यवाही स्टेट बैंक मुख्यालय मुम्बई स्थित सेंट्रल पेन्शन प्रोसेसिंग सेंटर से होता है जिसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी गोविंदपुरा भोपाल में स्थापित सेंट्रल पेंशन प्रोसेसिंग सेल स्टेट बैंक से संधारित होती हैं।भोपाल से जारी दिशा निर्देश के अनुरूप आगे की कार्यवाही छत्तीसगढ़ के बैंको में संचालित होती है। मुम्बई और भोपाल के बीच की प्रक्रिया में छत्तीसगढ़ उलझा हुआ है। पेंशनरों की इस समस्या के निदान के लिये छत्तीसगढ़ में भी सेंट्रल पेंशन प्रोसेसिंग सेल की पूर्णकालिक शाखा की स्थापना होना जरूरी है, अन्यथा यह परेशानी हमेशा बनी रहेगी।

ज्ञात हो कि 4 मार्च 21 को स्टेट बैंक बैरन बाजार जोनल आफिस रायपुर ने संचालक कोष लेखा एवं पेंशन,इंद्रावती भवन नया रायपुर को पत्र लिखकर अवगत कराया है उनकी रायपुर कार्यालय में पेशन प्रोसेसिंग सेल के कार्य हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त किये गए गये है परन्तु अब तक इस पर कोई काम काज अब तक प्रारम्भ नहीं हुआ है,यह भी पता चला है, यह सेल यहां भोपाल पेंशन प्रोसेसिंग सेल निर्देश पर केवल समन्वय कर ग्रीवेंसेस को लेकर काम करेगी। यानी वही ढाक के तीन पात वाली कहावत चरितार्थ होगी। समस्या जस के तस बनी रहनेवाली है क्योंकि सारा निर्णय भोपाल से ही होना है।

छत्तीसगढ़ में प्रति दस लाख आबादी पर रोजाना 1485 सैंपलों की जांच

रायपुर, 19 अप्रैल (आरएनएस)। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की पहचान के लिए ज्यादा से ज्यादा सैंपलों की जांच पर जोर दिया जा रहा है। यहां प्रति दस लाख की आबादी पर रोजाना 1485 सैंपलों की जांच की जा रही है, जबकि इसका राष्ट्रीय औसत 1152 है। अधिक सैंपलों की जांच होने से प्रदेश की पॉजिटिविटी दर भी बढ़ रही है। पिछले तीन दिनों में यहां कुल एक लाख 46 हजार 152 सैंपलों की जांच की गई है। प्रदेश में विगत 16 अप्रैल को 49 हजार 584 सैंपल, 17 अप्रैल को 53 हजार 916 सैंपल और 18 अप्रैल को 42 हजार 652 सैंपलों की जांच की गई है।

छत्तीसगढ़ प्रति दस लाख की आबादी पर रोजाना सैंपल जांच में देश के कई बड़े और ज्यादा जनसंख्या वाले राज्यों से काफी आगे है। अपेक्षाकृत कम आबादी वाला राज्य होने के बावजूद छत्तीसगढ़ में जहां यह औसत 1485 है, वहीं पश्चिम बंगाल में प्रति दस लाख की जनसंख्या में 475, आंध्रप्रदेश में 688, ओड़िशा में 789, राजस्थान में 840, बिहार में 842, उत्तरप्रदेश में 1052 और तमिलनाडू में 1455 सैंपलों की जांच प्रतिदिन हो रही है।

प्रदेश में पिछले तीन दिनों में करीब 35 हजार कोरोना मरीज स्वस्थ हुए

» अस्पतालों और होम आइसोलेशन में इलाज करा रहे मरीज रोज बड़ी संख्या में हो रहे हैं ठीक, 18 अप्रैल को 14 हजार से अधिक मरीज डिस्चार्ज

रायपुर (आरएनएस)। प्रदेश में रोज बड़ी संख्या में कोरोना मरीज ठीक हो रहे हैं। विगत 18 अप्रैल को एक ही दिन में 14 हजार 075 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। पिछले तीन दिनों में प्रदेश भर में 34 हजार 961 लोग कोविड-19 से उबर चुके हैं। प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों, कोविड केयर सेंटरों और होम आइसोलेशन में इलाज करा रहे 11 हजार 807 मरीज 16 अप्रैल को और 9079 मरीज 17 अप्रैल को डिस्चार्ज किए गए हैं। 18 अप्रैल को रायपुर जिले में 4627, दुर्ग में 3092, महासमुंद में 1284, बिलासपुर में 925, राजनांदगांव में 752 और रायगढ़ में 584 मरीज कोरोना से पूरी तरह ठीक हुए हैं।

पिछले तीन दिनों में स्वस्थ हुए लगभग 35 हजार कोरोना संक्रमितों में से 34 हजार 447 ने होम आइसोलेशन में रहकर अपना इलाज करवाया है। वहीं पूर्ण रूप से स्वस्थ होने के बाद 514 मरीजों को विभिन्न अस्पतालों और कोविड केयर सेंटरों से डिस्चार्ज किया गया है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की शुरूआत के बाद से अब तक पॉजिटिव पाए गए पांच लाख 44 हजार 840 मरीजों में से चार लाख दस हजार 913 लोग ठीक हो चुके हैं। इनमें से एक लाख 12 हजार 595 संक्रमितों का कोविड अस्पतालों और कोविड केयर सेंटरों में इलाज किया गया है। वहीं दो लाख 98 हजार 318 मरीजों ने होम आइसोलेशन में उपचार कराकर कोरोना को मात दी है।

कटघोरा अनुविभाग के गांव बांकी, बतारी, नवापारा, चोरभट्ठी एवं कबीर चौक कुसमुंडा कंटेनमेंट जोन घोषित, अतिआवश्यक सुविधाओं को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियां प्रतिबंधित

कोरबा (आरएनएस)। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जिला प्रशासन लगातार प्रयासरत है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए अधिक संख्या में कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जाने वाले क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बनाया जा रहा है। कंटेनमेंट जोन बनाकर वायरस के संक्रमण को संक्रमित क्षेत्र से असंक्रमित क्षेत्र तक फैलने से रोकने का प्रयास किया जा रहा है। इसी तारतम्य में तहसील कटघोरा के ग्राम बांकी, बतारी, नवापारा, चोरभट्ठी एवं कबीर चौक कुसमुंडा के संक्रमित क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। कटघोरा के एसडीएम श्री अभिषेक शर्मा ने इस संबंध मे जरूरी आदेश भी जारी कर दिए हैं। ग्राम बांकी में सात कोरोना संक्रमित एवं बतारी में 11 कोरोना संक्रमित, नवापारा के डोडकीपारा मोहल्ला में सात कोरोना संक्रमित, ग्राम चोरभटठी के बैगा मोहल्ला में सात एवं ग्राम कबीर चौक कुसमुंडा में नौ कोरोना संक्रमित मरीज मिलने पर उपरोक्त क्षेत्र को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।

माइक्रो कंटेनमेंट जोन की सीमा ग्राम बांकी डबरी पारा कटईनार वार्ड क्रमांक 65 में उत्तर में सामुदायिक भवन, दक्षिण में परसन का घर, पूर्व में खेत एवं पश्चिम में दयासिंह का घर तक के क्षेत्र को शामिल करते हुए 20-20 मीटर की परिधि तक कलस्टर कंटेनमेंट जोन एवं उसके बाद 30-30 मीटर की परिधि को बफर जोन कंटेनमेंट जोन निर्धारित की गई है। ग्राम बतारी चैनपुर बसाहट में कंटेनमेंट जोन की सीमा उत्तर में गली, दक्षिण में परत भूमि, पूर्व में आम रास्ता एवं पश्चिम में आम रास्ता तक 30-30 मीटर परिधि तक निर्धारित की गई है। ग्राम नवापारा के डोडगी पारा मोहल्ला में उत्तर में हडारन सिंह का घर, दक्षिण में खेत, पूर्व में रास्ता चंद्रपाल सिंह का घर एवं पश्चिम में खेत तक के क्षेत्र को शामिल करते हुए चारों दिशाओं में लगभग 30-30 मीटर परिधि को कंटेनमेंट जोन एवं उसके बाद 20-20 मीटर की परिधि को बफर जोन कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। तहसील दर्री के वार्ड क्रमांक 47 ग्राम चोरभट्ठी में कंटेनमेंट जोन उत्तर में सामुदायिक भवन एवं राजेन्द्र का घर, दक्षिण में रिक्त भूमि, पूर्व में ईतवार सिंह एवं कृपाल सिंह का घर एवं पश्चिम में रिक्त भूमि के 50-50 मीटर परिधि को बफर जोन कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। इसी प्रकार ग्राम कबीर चौक कुसमुंडा में कंटेनमेंट जोन की सीमा उत्तर में रोड, दक्षिण में बाड़ी, पूर्व में सीपीडीआई कालोनी रोड एवं पश्चिम में गैरेज तक के 30-30 मीटर परिधि तक निर्धारित की गई है।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता

इस संघ का गठनतमपूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं० 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईजर श्री तरकांत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कुमा सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी ठाकुरे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां

मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा अधिकारिक नियुक्तियों की जावेगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु

प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आकलन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें

संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु

- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक तौर के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु यह संगठन मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के मूल मिशन पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करवाएगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU